REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052021-227192 CG-DL-E-27052021-227192

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1890] No. 1890] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 27,2021/ज्येष्ठ 6, 1943

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 27, 2021/JYAISTHA 6, 1943

रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग) आदेश

नई दिल्ली, 25 मई, 2021

का.आ. 2030(अ).— केन्द्रीय सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा प्रकाशित मोरफोलीन (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2020 (का.आ. 1983 (अ) दिनांक 16.06.2020) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इस आदेश का नाम मोरफोलीन (क्वालिटी नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2021 है।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. मोरफोलीन (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2020 में पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(2) यह फरवरी, 2022 के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा"।

[फा. सं. सी-I-43/20/2021-पीसीपीआईआर]

समीर कुमार बिश्वास, अपर सचिव

नोट: मुख्य आदेश को दिनांक 16 जून, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1893 (अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था। 2826 GI/2021 (1)

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 25th May, 2021

S.O. 2030(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, is of opinion that is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following amendment in the Morpholine (Quality Control) Order ,2020 (S.O. 1983 (E) dated 16.06.2020) published by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This Order may be called the Morpholine (Quality Control)(Amendment) Order, 2021.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Morpholine (Quality Control) Order, 2020, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(2) It shall come into force on the 1st day of February, 2022."

[F. No.C-I-43/20/2021-PCPIR]

SAMIR KUMAR BISWAS, Addl. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number SO.1893 (E) dated 16th June, 2020.